

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तराखण्ड,
जनपद अल्मोड़ा।

संख्या 84 / भू0खनि0वि0 / खनन / जन0अल्मो0 / 2023-24,

दिनांक: 13-7-2023.

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उत्तराखण्ड।

विषय:-

अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम हेतु गठित जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) द्वारा अद्यतन समय तक की गयी कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 1573/उ0ख0/भू0खनि0नि0/2023-24, दिनांक 11 जुलाई, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि सचिव महोदय द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड में योजित जनहित याचिका संख्या 17/2023 रमेश लाल @ रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16 मार्च, 2023 के अनुपालन में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर गठित जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) द्वारा अद्यतन तक कितनी बैठकें आहूत की गयी हैं तथा कितने स्थलों पर साईन बोर्ड लगाये गये हैं, की जनपदवार सूचना मय फोटोग्राफ सहित उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत गठित जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) द्वारा अद्यतन तक यद्यपि पृथक से कोई बैठक आयोजित नहीं की गयी है तथापि समय-समय पर आयोजित मासिक समीक्षा बैठकों व अन्य बैठकों में जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निदेशों के क्रम में वर्तमान तक की गयी कार्यवाही की सूचना इस कार्यालय के पत्र संख्या मैमो/भू0खनि0वि0/खनन/जन0अल्मो0/2023-24 दिनांक 10.07.2023 के द्वारा महोदय को प्रेषित की गयी है। रिवर ड्रेजिंग हेतु पूर्व स्वीकृत अनुज्ञा का शासन द्वारा प्रदान की गयी समयवृद्धि के क्रम में वर्ष 2023-24 में संचालित मात्र 01 लॉट हेतु तत्समय लगाये गये साईन बोर्ड की फोटोग्राफ इस पत्र के साथ संलग्न कर सादर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(बीरेन्द्र कुमार सिंह)

उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी

संख्या / भू0खनि0वि0 / खनन / जन0अल्मो0 / 2023-24, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी

